राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005

(दूरभाष नं.:—0141—2740837,फैक्स 0141—2742309, ई मेलः—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः— प.4 (ई)(1)(6)निप / भर्ती—2023 / (स्थापना) / अलेसे—III / 2352 दिनांकः— 08/08/25

कार्यालय आदेश

निम्नांकित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार को उनके आवेदन के अनुसरण में निम्नलिखित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार	शैक्षणिक पाठ्यक्रम/परीक्षा का नाम	आयोजक संस्था	वर्तमान मुख्यालय
1	2	3	4	5
1	श्री दिलीप कुमार पालीवाल रोल नं—782597	एम.ए. (फाईनल) विषयः—इतिहास स्वयंपाठी वर्ष 2025-26	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सेखाला

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगीः—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2. आपका पदस्थापन मुख्यालय से परिवर्तित / स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— प.4 (ई)(1)(6)निप / भर्ती—2023 / (स्थापना) / अलेसे—III / 2353 दिनांकः— 08/08/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सेखला ।
2. उपनिदेशक, (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. श्री दिलीप कुमार पालीवाल कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सेखला ।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—II / III)